वॉइस ऑफ ओबीसी

सहयोग राशि रू. 20/-

अन्य पिछड़े की राष्ट्रसामयिक पत्रिका
अंक 21 - मार्च 2018

रवीन्द्र राम

सलाहकार-AIUB(OBC)EWA

महाप्रबंधक श्री जगमोहन सिंह द्वारा यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, उत्तर प्रदेश के संगठन कार्यालय में आगमन एवं विस्तारित पुस्तकालय का उद्घाटन

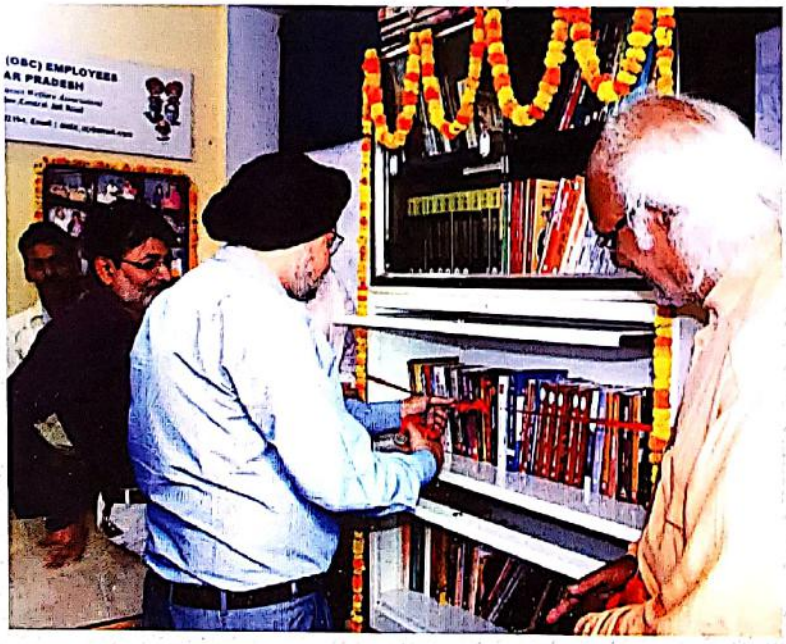

1. पुस्तकालय के विस्तारित पटल का उद्घाटन करते महाप्रबंधक श्री जगमोहन सिंह 2. संगठन कार्यालय में अतिथि पुस्तिका में शुभकामना प्रेषित करते हुए 3. क्षेत्रमहा प्रबंधक कार्यालय में अ.पि.वर्गों के संपर्क अधिकारी एवं उप अंचल प्रमुख श्री आर.के.नंदा 4. क्षे. का. वाराणसी में अ.पि.वर्गों के संपर्क अधिकारी श्री गुरू मैइता 5. पत्रिका के संपादक श्री अशोक आनंद

All India Union Bank (OBC) Backward Classes Employees Welfare Association आम सभा चेन्नई में दिनांक 9 जून 18 को आयोजित की गई। जिसमें पूर्व महामंत्री श्रीमती जी0मलार कोडी की विदाई समारोह के पश्चात संगठन की गति विधियों एवं लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। द्वितीय चरण में नयी कार्यकारिणी का गठन किया गया हुए प्रतिनिधियों एवं उपस्थित अतिथियों की छवि। कार्यक्रम की सूची पृष्ठ 7

वॉइस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की समसामयिक पत्रिका

अंक - 21, मार्च 2018

संपूर्ण संचालन अवैतनिक

(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)

संरक्षक
प्रो. एस.एस. कुशवाहा

परामर्श
जी. करुणानिधि, जे. पार्थसारथी
रवीन्द्र राम

प्रकाशक
रानी अमृतांशु

संपादक
अशोक आनंद
9415224153

मानद संपादक
अमृतांशु
9918306777

मानद सह संपादक
डा. हेमन्त कुमार
9453359701
विनोद प्रसाद शर्मा
9415889947
नवीन कुमार यादव
9415517017

प्रबंधक
अरविन्द कुमार

सहयोग
बसंत आर्य, सुनील कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार कुमार शशि, उपेन्द्र कुमार पाल, जयशंकर कुमार, मो. जलालुद्दीन, ऋषिकांत प्रसाद, दिलीप प्रसाद बृज लाल, पंकज कुमार, अशोक यादव

पत्राचार
ई-मेल : aiobc.up@gmail.co
कटरा सं. 77, पी.सी.एफ. प्लाजा
नदेसर, वाराणसी-221002
इस अंक सहयोग राशि : 20 रुपये
डाक खर्च के साथ वार्षिक सहयोग 60/- डीडी/चेक "Voice of OBC" के नाम वाराणसी में देय भेजें।

प्रकाशित रचनाओं से संपादन मंडल की वैचारिक सहमति आवश्यक नहीं।

प्रकाशित लेखों संदर्भों के पुर्नप्रकाशन से पूर्व अनुमति लें।

समस्त वाद विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में मान्य।

मुद्रक
प्रतीक प्रिंटर्स, वाराणसी। मो.: 9415623047

• डॉ. अमृतांशु

अन्य पिछड़े वर्गो में उप–वर्गीकरण और भारत सरकार के सुझाव

संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो की स्थिति की जांच एवं विश्लेषण संबंधी विषयों के अध्ययन के लिए आयोग का गठन कर सकते हैं।

केन्द्रीय मंत्रीमण्डल की अनुशंसा पर माननीय राष्ट्रपति ने सेवानिवृत न्यायाधीश श्रीमती जी0 रोहिणीकी अध्यक्षता में अक्टूबर 2017 में केन्द्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षणिक दशा के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया गया। एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक डॉ0 जे0के0 बजाज, रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना आयुक्त, संयुक्त सचिव – सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय आयेग के एक्स–ऑफिसिओ सदस्य हैं। 31 जुलाई 2018 को आयोग ने अंतिम रिपोर्ट हेतु नवम्बर–18 तक का समय मांगा है।

आयोग को अपने अध्ययन में मूल रूप से यह शमिल करना है कि 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मण्डल कमीशन की केन्द्रीय सूची में शामिल सभी 3743 जातियों, उपजातियों, समुदायों(NCBC के अनुसार वर्तमान में 5000 से अधिक) में विभाजित हो रहा है अथवा नहीं। साथ ही क्यों न इन सभी जातियों को उनकी सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति एवं शिक्षा के उन्नयन के अनुरूप उप वर्गो में विभाजित किया जाए ताकि आरक्षण का लाभ सभी सूचीबद्ध जातियों के मध्य विभाजित हो सके।

केन्द्र सरकार ने 1992 के इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाबत यह महसूस किया कि ओबीसी की पहचान अथवा उप–वर्गीय विभाजन संबंधी राज्यों के अधिकारों पर कोई संवैधानिक अथवा कानूनी बाध्यताएं नहीं है लिहाजा कुछ राज्यों द्वारा यह लागू किया गया है। अब तक नौ राज्यों – कर्नाटका, हरियाणा, आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड, पाण्डुचेरी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्रा, एवं तामिलनाडु में ओबीसी समुदायों में उप–वर्गीय (सब–केटेगोराइजेशन) अर्थात पिछड़े, अधिक पिछड़े और अति पिछड़े ग्रुप में विभाजन किया गया है। परन्तु पिछड़ी जातियों की केन्द्रीय सूची में सब–केटेगोराइजेशन अब तक लागू नहीं है।

अवधारणा के पीछे वास्तविक तथ्य एवं आवश्यक आंकडे

सरकार के पास पिछड़ी जातियों की सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान से संबंधित आवश्यक सर्वेक्षण एवं प्रर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1931 में आखिरी बार जातीय जनगणना के आंकड़े ही हमारे पास उपलब्ध हैं। यूपीए शासन के दौरान हुए जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल किए जाने की मांग की गई, आरम्भ भी हुआ, परन्तु अब तक नतीजे सामने नहीं आए हैं। पिछड़ी जातियों में उच्च शिक्षा, प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, अध्यापक, शिक्षक, इण्टरप्रेन्यूर, डॉक्टर, इंजिनियर, उद्यमी आदि की संख्या का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अतएव केवल अवधारणा के आधार पर ओबीसी को उप–वर्गो में विभाजित करना तर्कपूर्ण नहीं है।

SECC2011 (Socio Economic & Caste Census 2011) की रिपोर्ट जुलाई 2015 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की जनसंख्या एवं आय के स्तर का पता चलता है, परन्तु जहां तक ओबीसी से जुड़े आंकड़ों का प्रश्न है उसे प्रकाशित नहीं किया गया एवं बिना विश्लेषणात्मक आंकड़े के यह सुनिश्चित कर पाना कठिन है कि ओबीसी के किन–किन समुदायों, जातियों के शिक्षा एवं आय का स्तर क्या है। इसलिए सबसे पहले अन्य पिछड़े वर्गों के आयोग से यह निवेदन किया जाना चाहिए कि वह भारत सरकार से SECC-2011 के आंकड़े प्रकाशित करें और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओबीसी में शामिल कौन सी जाति / जातियां अधिक उन्नत हैं अथवा हुई हैं।

AIOBC फेडरेशन की मांग–

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ बैंकवर्ड क्लासेस ईम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशन्स के महासचिव श्री जी0 करूणानिधि ने यह स्पष्ट किया है कि SECC2011 के आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं बल्कि स्पष्ट आंकड़ों के लिए सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना वर्ष 2021 में किए जाने के निर्देश दिए जाने चाहिए।

ओबीसी के सब–केटेगोराइजेशन पर गठित आयोग के समक्ष संगठन के पक्ष की प्रस्तुति

दिनांक 13 मार्च 2018 को ओबीसी के सब कैटेगोराइजेशन पर माननीय न्यायाधीश जस्टिस जी0 रोहिणी की अध्यक्षता में गठित आयोग ने ऑल इंडिया यूनियन बैंक बैकवर्ड क्लासेस इम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशन को इस विषय पर अपने पक्ष एवं विचार रखने हेतु विज्ञान भवन आमंत्रित किया। संगठन की ओर से महासचिव जी0मलारकोडी, संगठन मंत्री डॉ0 अमृतांशु, कोषाध्यक्ष श्री टी0रवि कुमार एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री रवीन्द्र राम उपस्थित हुए। संगठन ने लिखित रूप में अपने पक्ष प्रस्तुत किए जिसके मूल बिन्दु निम्न हैं –

- आरक्षण की सीमा 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 52 प्रतिशत की जाए, ताकि ओबीसी सब–केटेगोराइजेशन के बाद उन जातियों/समुदायों पर कोई प्रभाव न पड़े जिन्हें 27% आरक्षण प्राप्त हो रहा है।
- सब–केटेगोराइजेशन के पश्चात सब–केटेगोराइजेशन वाले ग्रुप में यदि ओबीसी उम्मीदवार की अनुपल्बधता होती है ऐसे में रिक्त पदों को केवल ओबीसी के ही अन्य समुदाय के उम्मीदवार से भरे जाएं। वे रिक्त पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से न भरे जाएं।
- जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान निर्मित किए जाएं एवं 50 प्रतिशत सीमा को खत्म किया जाए।
- केवल ओबीसी के लिए लागू क्रीमीलेयर पद्धति को खत्म किया जाए।
- 2021 में केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से जाति आधारित जनगणना होना सुनिश्चित किया जाए।
- विभिन्न सरकारी विभागों में अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं कार्यपालक अधिकारियों में ओबीसी की संख्या आरक्षण लागू होने क 25 वर्ष बाद भी न्यूनतम 27 प्रतिशत भी नहीं है। (आयोग के समक्ष डाटा प्रस्तुत किया गया)

अतएव माननीय आयोग से अनुरोध है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का कष्ट करें।

लोक सभा में दिनांक 13.03.2018 को तारांकित प्रश्न संख्या 245 प्रस्तुत करते हुए माननीय अध्यक्ष – अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति एवं सांसद श्री गणेश सिंह –

क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि –

क. क्या भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सामाजिक–आर्थिक और जातीय जनगणना–2011 के आंकड़े उपलब्ध करा दिए गए हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

ख. क्या उक्त आंकड़ों को सार्वजनिक किया जा चुका है।

ग. यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही तो इसके कारण क्या हैं।

घ. क्या उक्त मंत्रालय को भारत के महापंजीयक द्वारा उपलब्ध कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़ों में गलती हुई है और यह अपेक्षित मानदंड के अनुरूप नहीं है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, और

ड. जातीय जनगणना–2011 कराने के लिए आवंटित,संस्वीकृत और वितरित की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा इन आंकड़ों को ठीक करने में कितनी राशि और खर्च होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर द्वारा प्रस्तुत उत्तर

(क) से (ग): सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एचयूपीए) द्वारा करवाई गई है। जाति संबंधी आंकड़ों को छोड़कर, एसईसीसी आंकड़ों को ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 2016 में अंतिम रूप दिया गया और प्रकाशित कर दिया गया। संसाधन क लिए जाति संबंधी यह आंकड़े भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय को सौंप दिए गए जिसके पश्चात इन्हें वर्गीकरण और श्रेणीकरण के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता मे बनाए गए विशेषज्ञ समूह को प्रस्तुत किया जाना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय होने के नाते इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

(घ) जाति संबंधी आंकड़ों के संसाधन के दौरान कुछ त्रुटियां पाई गईं। आवश्यक सुधार करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श किया गया है। (ड.) SECC-2011 को 4893.60 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत से किया गया था।

Blog : signpost2.blogspot.com
E-mail : aiobc.up@gmail.com

रवीन्द्र राम

•डॉ. हेमंत कुमार •डॉ. अशोक आनन्द

- सलाहकार : अखिल भारतीय यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संध
- उपाध्यक्ष : ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ओबीसी इम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशन्स
- संस्थापक पूर्व महामंत्री : यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण कॉन्सिल,बिहार

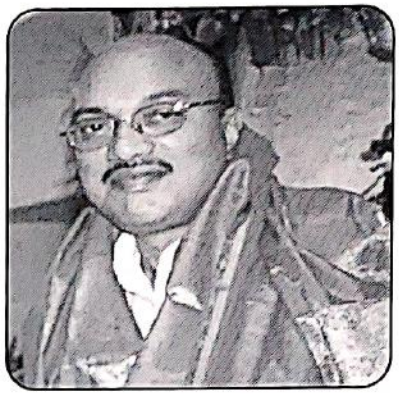

ओबीसी संसदीय समिति के चेयरमैन श्री हांडिक के साथ विमर्श करते हुए।

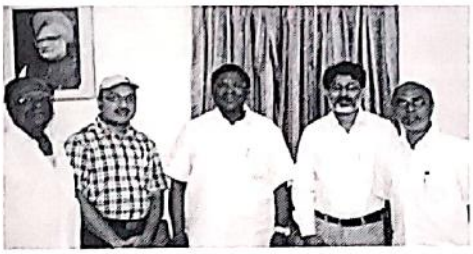

शिक्षा बिल 2006 से संबंधित विमर्ष में पीएमओ में तत्कालीन राज्यमंत्री एवं वर्तमान पांडुचेरी के मुख्य मंत्री श्री नारायण सामी के डेलिगेशन टीम

वर्ष 2011 उत्तर प्रदेश वाराणसी में AIOBC-UP द्वारा आयोजित यूपीएससी के सफल परीक्षार्थियों के सम्मान समारोह में वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए।

जिसने भी संघर्ष का रास्ता चुना, वक्त हमेशा उसे जवान बनाए रखता है। नित्शे कहते हैं कि क्रान्तिकारियों को अपने घर ज्वालामुखी के करीब बनाना चाहिए ताकि लावा की ज्वलनशीलता को वे अधिक महसूस कर सके।

रवीन्द्र राम ऐसी ही शक्सियत हैं। प्रकृति ने उन्हें इस तरह गढ़ा है कि वे जहां भी रहे, हाशिए पर प्रतीक्षारत और संघर्षरत लोगों के लिए उनकी आवाज बनकर उन्हें उनके मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों को दुनिया के सामने रखने की भरपूर कोशिश की। यह दुर्घष रास्ता उन्होंने स्वयं चुना। पिता का समभाव एवं समजीवी संस्कार उन्हें बार–बार यह बताता रहा कि जीवन में दूसरों की मदद से बड़ा कोई काम नहीं। राजा का काम भी सहयोग और भलाई का है। रवीन्द्र जी ने जीवन में अपनी यही राह चुनी। क्यों न इसके लिए उन्हें संसद में गुहार लगानी पड़ी हो या विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों के शीर्ष अधिकारियों के समक्ष निवेदन करना पड़ा हो।

रवीन्द्र राम राष्ट्रीयकृत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक पद से वर्ष 2017 को सेवानिवृत हुए। एक अच्छे समर्पित बैंकर के साथ संगठनकर्ता की भूमिका आपने निभाई है। सबके लिए सामाजिक न्याय ही आपका मूल मंत्र रहा। भारत जाति विहीन समरस समाज बने इसके लिए आप अभी तक प्रयासरत हैं। बैंक में कार्य करते हुए उन्हें वर्ष 1996 में तमिलनाडु के जी0 करूणानिधि से मुलाकात हुई जिन्होंने 8 सितम्बर 1993 को केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए मंडल कमिशन की सिफारिशों के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सबसे पहले अन्य पिछड़े वर्गों के संगठन की स्थापना 1995 में की थी। सनद रहे कि श्री जी0 करूणानिधि वर्तमान में यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं एवं श्री रवीन्द्र राम सलाहकार।

कालान्तर में रवीन्द्र राम ने बिहार में 1997 में यूनियन बैंक पिछड़ा वर्ग काउन्सिल की स्थापना की एवं संस्थापक महामंत्री बनाए गए।

यूनियन बैंक चेन्नई अंचलीय कार्यालय के सभागार में शीर्ष प्रबंधन के साथ वर्ष 2015 में अर्द्ध–वार्षिकवार्ता

गुवाहाटी वर्ष 2008 में AIRBI (OBC) EWA के सेमिनार में भाग लेते. साथ में श्री महादेव जनकार– माननीय मंत्री महाराष्ट्र सरकार एवं श्री जी0 करूणानिधि

19 नवम्बर'17 को पटना में श्री रवीन्द्र राम एवं उनकी पत्नी को सम्मानित करते मुख्य अतिथि केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री राम कृपाल यादव एवं अन्य

- 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य पिछड़े वर्गो में उप–वर्गीय विभाजन पर गठित माननीय न्यायाधीश श्रीमती रोहिणी की अध्यक्षता में गठित आयोग के समक्ष AIUB(OBC)EWA की ओर से रवीन्द्र राम, मैडम मलारकोडी, डॉ0 अमृतांशु एवं रवि कुमार ने संगठन के विचार रखे।

<u>रवीन्द्र राम के जीवन एवं उनकी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण</u>

- विद्यालय काल से ही समूह को नेतृत्व देने का स्वभाव।
- गांव के निम्न तबकों और गरीबों को सजग करने के लिए प्रयास रत।
- 1974 में विज्ञान महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति की अवधारणा से प्रभावित।
- जेपी के महानायकत्व में ''छात्र युवा संघर्ष वाहिनी'' में सक्रिय।
- जनवरी 1979 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्ति। आरम्भ से ही बैंक श्रमिक संगठनों में सक्रिय भागीदारी रही।
- 1997 में भारत में सरकारी, अर्द्ध–सरकारी एवं अन्य आर्गनाइज्ड क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों के संगठन की नींव डालने वाले महान समाजसेवी श्री जी0 करूणानिधि के साथ मिलकर ऑल इंडिया यूनियन बैंक बैकवर्ड क्लासेस इम्पलाईज वेलफेयर की बागडोर संभाली और वर्ष 2000 से 2015 तक अध्यक्ष एवं 2015 से 2017 तक कार्यकारी अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे।
- वर्ष 2004 में बिहार अन्य पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना की जिसमें यूनियन बैंक सहित भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक, सेन्ट्रल एक्साइज विभाग, पोस्टल विभाग, भारतीय रेलवे, भारतीय जीवन बीमा निगम, आदि विभागों के अ.पि.व. कर्मचारियों/संगठनों की भागीदारी से बड़े मुद्दों को करूणानिधि के सहयोग से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों तक उठाया।
- संसद के कई सत्रों के दौरान फेडरेशन के महासचिव जी0 करूणानिधि, अध्यक्ष जे0 पार्थसारथी, उ0प्र0 महासचिव डॉ0 अमृतांशु सहित तमिलनाडु के अन्य साथियों के साथ मिलकर माननीय सांसदों से मिले एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के मुद्दों पर गम्भीर चर्चाएं की।
- यूपीए सरकार के दौरान फोरम ऑफ ओबीसी एमपी के कन्वेनर माननीय सांसद श्री हनुमंत राव के नेतृत्व में जातीय जनगणना हेतु 11 जनपथ में पिछड़े वर्गों के सांसदों की विशेष बैठक अयोजित करने में आप ने भूमिका निभाई।
- 12 दिसम्बर 2006 को संसद में ओबीसी एजुकेशन बिल आने से पूर्व तत्का... सांसद एवं वर्तमान में पांडुचेरी के मुख्य मंत्री श्री नारायण सामी के नेतृ... फेडरेशन के बैनर पर जी0 करूणानिधि, डॉ0 अमृतांशु एवं रवीन्द्र रा... डेलिगेशन टीम तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह से मिल... दिसम्बर 2006 को लोक सभा में उक्त बिल प्रस्तुत एवं पारित।

ALL INDIA UNION BANK BACKWARD CLASSES (OBC) EMPLOYEES' WELFARE ASSOCIATION

H.O: 139, Broadway, Chennai – 600 108

List of Office-bearers elected at the General Body meeting held on 9.6.2018 at Chennai

Post	Name	Branch
PATRON	**T.K.S. ELANGOVAN, M.P.**	
ADVISORS	RAVINDRA RAM	PATNA
	G. MALARKODI	CHENNAI
PRESIDENT	**G. KARUNANIDHY**	**CHENNAI**
WORKING PRESIDENT	**DR. AMRITANSHU**	**FGMO, VARANASI**
VICE-PRESIDENTS	RATANLAL SEERVI	PAOTA C ROAD, JODHPUR
	PAWAN KUMAR	HAJIPUR, BIHAR
	BINOD PD. SHARMA	KACHERI ROAD, GHAZIPUR
GENERAL SECRETARY	**T.RAVIKUMAR**	**SERVICE BR., CHENNAI**
ORGANISING SECRETARY	GOPICHAND PARIHAR	RO, UDAIPUR, RAJASTHAN
TREASURER	S. NATARAJAN	SERVICE BR, CHENNAI
SECRETARIES	PRAKASH MAJUMDAR	CAMAC BR., KOLKATTA
	VIJYA KUDTARKAR	CMS, MUMBAI
	G. NAGESH KUMAR	----
	MADHUSUDAN SAMAL	JAJPUR, ODISHA

CENTRAL COMMITTEE MEMBERS:

SL.NO.	NAME	BRANCH	REGION
1	Tushar Wavhal	CMS Br, Mumbai	Mumbai South
2	Yogesh Patil	Naygaon	Nasik
3	Mangesh Tikar	Kurankhed br.	Nagpur
4	Pradeep Yadav	PROS br.	Goa
5	Sanjay Nale	Wagholi br	Pune
6	Gopal Mahajan	Mahabaleshwar br	Kolhapur
7	N.Babu	Malleswaram branch	Bengaluru
8	Suresh Chandra Nayak	College Square,Cuttack	Bhubaneshwar
9	Md. Jalaluddin	Aurangabad	Varanasi
10	Dharamveer Singh	Service br, Meerut	Meerut
11	Anurag Gupta	RO, Lucknow	Lucknow
12	Naveen Kumar	Service br., Lucknow	Lucknow
13	Vikas Kumar Sikara	RG College, Meerut	Meerut
14	Haridwar Singh Yadav	Jangipur	Ghazipur
15	M.Bagyaraj	Mid Corporate	Chennai
16	P.Sathishkumar	Vijayamangalam	Salem
17	S.Sathiyamurthy	Kolathur	Chennai
18	R.Purushothaman	KK Nagar, Trichy	Coimbatore
19	Naushad Ali Ansari	R.A.K. ROAD Br.	Kolkatta
20	Sajal Kumar Dutta	CAMAC ST., Kolkatta	Kolkatta
21	Kiran Kumar Bhujel	Ranipool	Sikkim
22	Janam Rai	Gangtok	Sikkim
23	Mukesh Kumar Roshan	RO, Kolkatta	Kolkatta
24	Abhisek Pankaj	PND ROAD	Siliguri
25	Ashish Kumar Patel	FGMO, Bhopal	Bhopal
26	Atul Kumar Gupta	RO, Bhopal	Bhopal
27	Kishore Kumar Dhara	Ramkote	Hyderabad
28	Soma Ganesh	Ramantapur	Hyderabad
29	Upendra Kumar	Patliputra Colony	Patna
30	Jitendra Kumar	Patliputra Colony	Patna
31	Anwar Mohd. Rashid	Bhagalpur	Patna
32	Dhirendra Kumar Ram	Saral, Ranchi	Ranchi
33	Laxman Singh Sankala	Jodhpur Main	Jodhpur
34	शीघ्र ही केरल से एक प्रतिनिधि नामित किए जाएगें।		
35	शीघ्र ही दिल्ली से एक प्रतिनिधि नामित किए जाएगें।		

F No 36033/2/2018-Estt (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Establishment (Reservation-I) Section

North Block, New Delhi
Dated June 8, 2018

To

The Chief Secretaries of all States / Union Territories

Subject:- Reservation for candidates from Other Backward Classes – Revision of Income Criteria and determining equivalence of posts in Central Public Sector Enterprises (CPSEs), Public Sector Banks, Public Financial Institutions, etc. with Posts in Government for establishing Creamy Layer criteria – regarding

Madam/ Sir,

I am directed to invite attention to this Department's Office Memorandum No 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.1993 which, inter-alia provided that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs 1 lakh or above for a period of three consecutive years would fall within the 'creamy layer' and would not be entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes.

2 The aforesaid limit of income for determining the creamy layer status was subsequently raised to Rs. 2.5 lakh, Rs 4.5 lakh Rs 6 lakh and Rs 8 lakh vide this Department's O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 09.03.2004, O.M No 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14.10.2008, O.M. No. 36033/1/2013-Estt (Res.) dated 27.05.2013 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res.) dated 13.09.2017, respectively.

3. This Department is in receipt of references seeking clarification on the status of equivalence and revision of income criteria, in Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and Financial Institutions with posts in Government. In this regard, copies of the following Office Memorandums issued by Department of Public Enterprises, Department of Financial Services and this Department are enclosed for ready reference:

i) O.M. No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 13.09.2017 of this Department regarding revision of income criteria;
ii) O.M. No. DPE-GM-/0020/2014-GM-FTS-1740 dated 25.10.2017 of the Department of Public Enterprises on establishing equivalence of posts in Central Public Sector Enterprises (CPSEs) with Posts in Government for establishing Creamy Layer criteria, and
iii) O.M. No. 19/4/2017-Welfare dated 06.12.2017 of the Department of Financial Services on establishing equivalence of posts in respect of Public Sector Banks, Public Financial Institutions, Public Sector Insurance Companies.

4. It is requested to please bring the contents of the above mentioned O.M.s/ instructions to the notice of all concerned for information / compliance.

Yours faithfully,

(Raju Saraswat)
Under Secretary to the Government of India
Telefax - 23092110

Copy to

1. All the Ministries/Departments of the Government of India
2. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi
3. Department of Public Enterprises, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi
4. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi
5. National Commission for Backward Classes, Trikoot-1, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi
6. Hindi Section for providing a translation
7. Guard File

No.19/4/2017-Welfare
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
***

2nd Floor, Jeevan Deep Building,
Parliament Street, New Delhi, the 06th December, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: (i) Establishing equivalence of posts in PSUs, Banks, Insurance Institutions with posts in Government for establishing Creamy Layer Criteria.
(ii) Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs)-reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's letter No.14/1/93-SCT(B) dated 28.9.1993 forwarding therewith DoP&T's O.M. dated 08.9.1993 regarding reservation for Other Backward Classes in civil posts and services under the Government of India. Category II C of Schedule to DoP&T's O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.9.1993 envisaged that equivalence will be established between the posts in PSUs, Banks, Insurance organizations etc. vis-à-vis posts in Government.

2. Government had recently examined the proposal for establishing equivalence of posts in Central Public Sector Undertakings (PSUs), Banks, Insurance Institutions with Posts in Government for establishing Creamy Layer criteria amongst Other Backward Classes. The Government has approved principles for determining the equivalence in respect of Public Sector Banks (PSBs), Public Financial Institutions (PFIs), Public Sector Insurance Companies (PSICs), as conveyed vide DoP&T's O.M. No.41034/5/2014-Estt.(Res.) Vol.IV-Part dated 06.10.2017 (copy enclosed), which inter-alia, provide as follows:

(a) Junior Management Scale-I of PSBs/PFIs/PSICs will be treated as equivalent to Group A in the Government of India and
(b) Clerks and Peons in PSBs/PFIs/PSICs will be treated as equivalent to Group C in the Government of India.

3. Further, the income limit for determination of creamy layer amongst the OBCs have been raised from Rs.6 lakhs to Rs.8 lakhs with effect from 01st September, 2017 vide DoP&T's O.M. No.36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 13.9.2017 (copy enclosed).

4. The above instructions may please be brought to the notice of all concerned under your organisation for strict compliance under intimation to this Department.

5. This issues with the approval of Secretary(FS).

(Arun Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel.:23748725

Encls. : As above.

Annexure II

Extracts from the Note for Cabinet dated 8/8/2017

approved by the Cabinet in its meeting of 30/08/2017.

xxxx xxx xxxx xxxx xxxx

"5.2 Schedule- II C of the annexure to DoP&T's OM of 8.9.1993 (Annexure-I), is in respect of employees in Public Sector Undertakings, Public Sector Banks and Insurance Institutions. The position given below shall be applicable as advised by the Department of Public Enterprises and Department of Financial Services respectively. The Nodal Department i.e. DoPT have supported the general principles suggested by the Department of Public Enterprises and Department of Financial Services.

Department of Public Enterprises - "Keeping in view that CPSEs are categorized into four Schedules (A, B, C & D) with different levels of pay scales on IDA pay pattern, perks and allowances, variable pay, affordability concept etc. and also number of levels of non-executive level posts are flexible and fixed by respective Boards of CPSEs after wage negotiations with the Unions, the CSEs are at a completely different footing in comparison to pay pattern and allowances of functionaries of Government of India. The determination of exact equivalence of CPSEs posts with Group A, B, C and D levels posts of Central Government is therefore not feasible. All Executives level posts i.e. Board level executives and below Board level executives which are managerial level posts subject to proviso that those executives whose annual income as per criterion given in DoP&T's OM of 8.9.1993, as amended from time to time, is less than Rs.6.00 lakh will not be considered 'creamy layer'.

Department of Financial Services - Banks and Insurance organizations - " (a) Junior Management Grade Scale – 1 of Public Sector Banks, Financial Institutions and Public Sector Insurance Corporations will be treated as equivalent to Group A in the Government of India and

(b) Clerks and Peons in Public Sector Banks, Financial Institutions and Public Sector Insurance Corporations will be treated as equivalent to Group C in the Government of India. Accordingly as per O.M. dated 08.09.1993, officers belonging to Junior Management Grade Scale-I and above will be considered as creamy layer. For Clerks and Peons in PSBs, FIs and PSICs, the income criteria vide O.M. referred above i.e. Rs. 6.00 lakhs per annum as revised from time to time will be applicable. These will be applicable with an exception being provided vide O.M. dated 08.09.1993 of DoP&T as under:-

G. Srinivasan

i) Son(s) and daughter(s) , if father/mother is Clerk and Peon of PSBs, FIs and PSICs employee and he gets into Junior Management Grade Scale-1 of PSBs, FIs and PSICs at the age of 40 or earlier.

ii) Son(s) and daughter(s) of parents either of whom or both of whom are in Junior Management Grade Scale-1 and above of PSBs, FIs and PSICs, and such parent(s) dies/die or suffer permanent incapacitation.

iii) A lady belonging to OBC category has got married to a person of Junior Management Grade Scale-1 and above of PSBs, FIs and PSICs and may herself like to apply for a job."

xxxx xxx xxxx xxxx xxxx

"9. **Approval of the Cabinet**

Approval of the Cabinet is solicited to:-

i) Enhancement of the monetary ceiling for Income Test for Creamy Layer of OBCs to Rs. 8.00 lakh per annum from Rs. 6.00 lakh per annum, as detailed at para 5.1 above, from date of issue of orders and

ii) The DOPT will be requested to take action to issue orders in accordance with the standards of reference for determining creamy layer, vide para 5.2 above, to the Department of Public Enterprises and the Department of Financial Services, who shall issue corresponding orders immediately in respect of Public Sector Undertakings, Public Sector Banks and Financial Institutions etc. with reference to Schedule II-C of the Annexure to DoPTs O.M. 8.9.1993."

G. Srinivasan

No. 41034/5/2014 – Estt. (Res.) Vol. IV - Part
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel &Training

North Block, New Delhi,
Dated: 06th October 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Establishing equivalence of posts in Central Public Sector Undertakings (PSUs), Banks, Insurance Institutions with Posts in Government for establishing Creamy Layer criteria – reg

*****

The undersigned is directed to refer to DOPT OM No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8.9.1993 (**copy at Annexure I**) regarding reservation for Other Backward Classes in civil posts and services under the Government of India. In terms of para 3 of the said OM, similar instructions were to be issued in respect of Public Sector Undertakings and financial institutions including Public Sector Banks by Department of Public Enterprises and by the Ministry of Finance respectively.

2. Government had recently examined the proposal for establishing equivalence of posts in Central Public Sector Undertakings (PSUs), Banks, Insurance Institutions with Posts in Government for establishing Creamy Layer criteria amongst Other Backward Classes. The Cabinet in its meeting held on 8.8.2017, inter-alia, approved para 5.2 of the Cabinet Note wherein the general principles for determination of equivalence in respect of Public Sector Undertakings, Banks and Public Insurance organizations were proposed by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Relevant extracts of para 5.2 and para 9 of the Cabinet Note are appended at **Annexure II.**

3. Department of Public Enterprises and Department of Financial Services are requested to advise all the public sector organizations under their respective administrative control to issue necessary orders immediately, in accordance with principles approved by the Cabinet as appended in Annexure II, so as to conclude the exercise before 31st March, 2018.

4. It is also requested that orders issued in the matter may kindly be arranged to be endorsed by all concerned to this Department as well as M/o Social Justice & Empowerment for our record.

G. Srinivasan
(G. Srinivasan)
Deputy Secretary

Encl: As above

To

1. Department of Public Enterprises,
   Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
   [Kind Attn: Smt. Seema Bahuguna, Secretary]
   Room No. 305, Block No. 14, CGO Complex,
   New Delhi-110003
2. Department of Financial Services,
   Ministry of Finance,
   [Kind Attn: Shri Rajiv Kumar, Secretary]
   Room No. 6A, Jeevan Deep Building, Parliament Street
   New Delhi - 110 001

Copy for information to Shri B.L.Meena, Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi, with reference to MOSJ&E D.O.letter No. 12015/8/2017-BC-II dated 5.9.2017

G. Srinivasan

• डॉ. अमृतांशु
• विक्रांत कुमार

श्रीकांत बोला

मुझे लोगों के देखने के नजरिये के द्वारा दृष्टिहीन बनाया गया है...

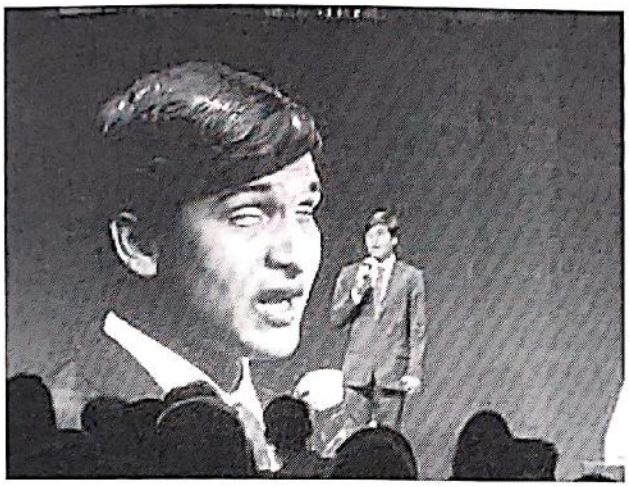

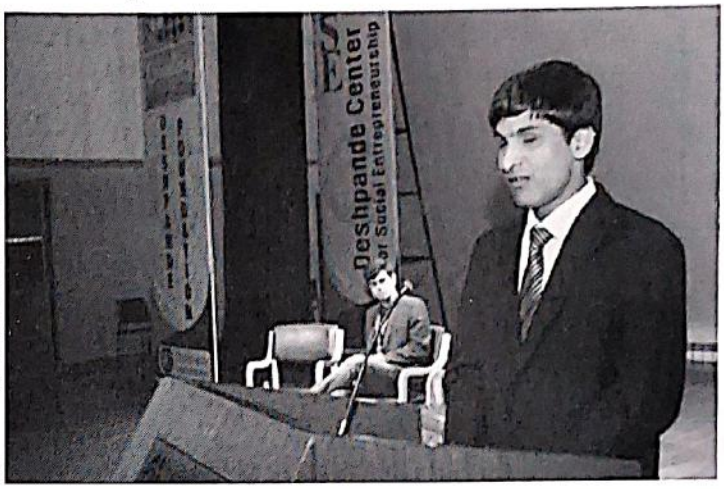

श्रीकांत बोला का जन्म आन्ध्र प्रदेश में हुआ। वे बचपन से (जो कि बचपन से ही ब्लाइंड (blind) हैं) पढ़ने में काफी होशियार थे और पढ़ने का खूब शौक था। जब श्रीकांत का जन्म हुआ, तो उनके कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने श्रीकांत के अंधेपन के कारण उनके माता-पिता को अनाथालय में दान करने या फिर मार डालने तक की सलाह दे डाली थी।

श्रीकांत बोला के अनुसार -"स्कूल में कोई भी मेरी मौजूदगी को स्वीकार नहीं करता था। मुझे हमेंशा कक्षा के अंतिम बेंच पर बिठाया जाता था। मुझे PT की कक्षा में शामिल होने की मनाही थी। मेरे जीवन में वह एक ऐसा क्षण था, जब मैं यह सोचता था कि दुनिया का सबसे गरीब बच्चा मैं ही हूं, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे की कमी थी, बल्कि इसलिए कि मैं अकेला था।"

उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उनके जीवन में फैला अंधेरा हर वक्त उनके आड़े आ रहा था। इसी कारण उनकी पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो जो विषय पढ़ना चाह रहे थे उसमें admission नहीं मिल पा रहा था। Science पढ़ने की चाह लिये वो हर स्कूलों की ठोकरे खा रहे थे।

कहते हैं जब एक ईमानदार कोशिश पूरे हौंसले और जज्बे के साथ की जाती हैं तो पूरी कायनात आपको आपकी मज़िल से मिलवाने की कोशिश में लग जाती हैं और श्रीकांत के साथ भी ऐसा ही हुआ- वे खुद ईमानदार थे इसलिए उन्हें एक ईमानदार मददगार भी मिल गई ऐसे में उनके रास्ते को आसान करने के लिये उनकी टीचर स्वर्णलता ने उनकी मदद की और कोर्ट में आवेदन किया।

काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार court ने अपने फैसले में श्रीकांत को science से admission लेने की अनुमति दे ही दी, लेकिन इस कोशिश ने छह महीनों का लम्बा समय ले दिया। exams नजदीक आ गए थे, इसके लिए उनकी teacher ने पूरे नोट्स का ऑडियो अपनी आवाज में बनाकर उन्हें दिया। एक टीचर की मेहनत उस समय रंग लाई जब परीक्षा में उन्हें 98 percent marks मिले। वे Science विषय से 11वीं करने वाले देश के पहले दृष्टिहीन बने। यहां से हिम्मत और बढ़ी और श्रीकांत ने दुनिया के सर्वेश्रेष्ठ संस्थान में पढ़ने की ठानी। श्रीकांत बोला ने साल 2009 में आईआईटी में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि - आप दृष्टिहीन है। इसलिए आप IIT की प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। उसके बाद श्रीकांत बोला ने आगे के रास्ते को बड़े ध्यान पूर्वक चुना और internet के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास करने लगे कि क्या उनके जैसे लड़कों (bind) के लिए कोई Engineering Programs उपलब्ध है? इसी क्रम में उन्हें मेसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में प्रवेश मिल ही गया इसी के साथ श्रीकांत देश के पहले और MIT के पहले गैर अमेरिकी ब्लाइंड स्टूडेंट बने, जिन्होंने MIT से शिक्षा प्राप्त की। यहां 2009 से 2013-14 तक श्रीकांत पढ़े और ग्रैजुएट हुए।

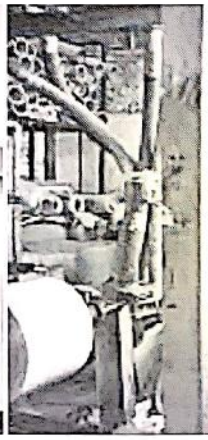

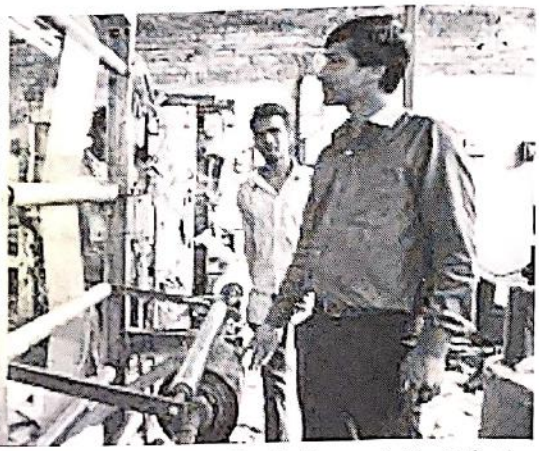

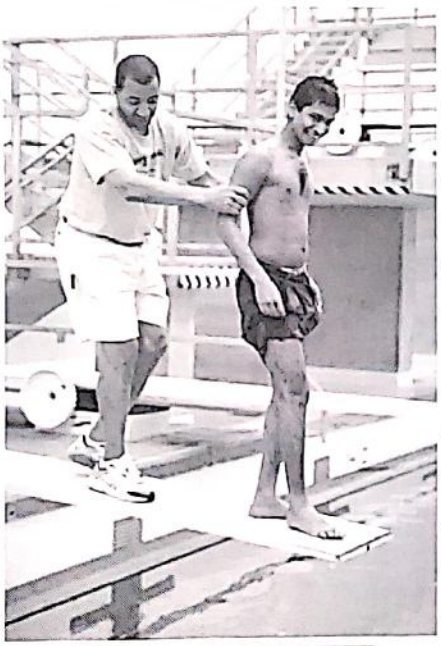

MIT में अध्ययन के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी को तैराकी की शिक्षा लेनी होती है। श्रीकांत के लिए यह भी एक दिलचस्प वाकया था। लैरी एडर्सन उनके तैराक गुरू थे। उनके लिए भी यह एक चुनौती थी। एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए न तो स्वीमिग पुल के किनारे का अंदाजा था, न डाइविंग बोर्ड के छलांग लगाते समय किनारे का, न 16 फिट गहराई का, लेकिन जिस गणितीय अंदाजा से श्रीकांत बोला ने तैराकी सीखी वह एक मिसाल है। वे कहते है - "मेरे लिए तैराकी सिखना आत्मरक्षा के लिए आवश्यक था और तैराकी एक बेहतर कसरत है"।

वह एक लोमहर्षक दृष्य था स्वीमिंग पुल का पानी शांत था, डाइविंग बोर्ड श्रीकांत के भार से ऊपर-नीचे झूल रहा था। एक दो लैरी एडर्सन की गिनती शुरू हुई... श्रीकांत पानी में कूदने को तैयार... और तीन कहते ही "बोला" स्वीमिंग पुल में कूद पड़े... तैरकर किनारे आए जहां के उनके चार साथी जो तैराकी में सहयोग करते रहे थे... उनका स्वागत किया... श्रीकांत बोला तैराकी की परीक्षा में सफल हो चुके थे।

सहज विश्वास नहीं होता परन्तु आत्मविश्वास और साहस का जीवंत उदाहरण हमारे सामने आज भी उपस्थित है।

पढ़ाई पूरी हो गई तो वे अमेरिका में अपने सुनहरे भविष्य को छोड़ भारत लौट आए। यहां उन्होंने शारीरिक रुप से कमजोर लोगों के लिए एक सेवा प्रारंभ की इसमें उन लोगों को पूर्ण विकास हो सके। उन को प्रोत्साहित व मदद की जा सके और सबसे बड़ी बात समाज में उन्हें एक सम्मानजनक स्थान दिलाया जा सके। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि यह लोग तो सामान्य जिंदगी जीने लगे हैं लेकिन अपनी प्रतिदिन की जरूरतों के लिए किसी आश्रित रहेंगे, उनके रोजगार का क्या होगा। इसलिए उन्होंने पहले दिन ट्रस्ट की स्थापना की जो अभी लगभग 200 से ज्यादा दृष्टिहीन लोगों को रोजगार प्रदान कर उन्हें सम्मान से जीवन जीने का अवसर दे रही है।

साभार- तथ्य भारती

एम.टेक के बाद किसानी रास आयी

कम्प्यूटर साइंस में एम.टेक के बाद ख्यात संस्थान की नौकरी छोड़कर 27 एकड़ के अपने फार्म में सब्जियाँ उगाना शुरू किया, जो आज दिल्ली से बैंगलुरू तक जाती है और जल्दी दुबई और इजरायल आदि देशों में निर्यात की योजना है।

वल्लरी चन्द्राकर

अब वल्लरी के फार्म हाउस में होने वाली सब्जियाँ दिल्ली, भोपाल, इंदौर, ओडिशा, नागपुर, बेंगलुरू तक जाती हैं। जल्द ही लौकी-टमाटर की नई फसल आ रही है, जिसे दुबई और इजरायल तक निर्यात करने की तैयारी है।

वल्लरी चंद्राकर रायपुर से करीब 88 कि.मी. दूर बागबहारा के सिर्री गांव की रहने वाली है। वल्लरी कम्प्यूटर साइंस से एमटेक हैं। वे नौकरी छोड़कर अब खेती करवा रही हैं। 27 एकड़ के फार्म हाउस में सब्जियाँ उगाना, टैक्टर चलाकर खेत जोतना और मंडी तक सब्जियाँ पहुँचाने का काम वल्लरी चंद्राकर की ही देख-रेख में होता है और वह खुद भी इन सब काम में लगी रहती हैं। वल्लरी ने खेती की शुरुआत 2016में 15 एकड़ जमीन से की थी। खेती में हाई-टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन्होंने बाजार में जगह बनाई। अब वल्लरी के फार्म हाउस में होने वाली सब्जियाँ दिल्ली, भोपाल, इंदौर, ओडिशा, नागपुर, बेंगलुरू तक जाती हैं। जल्द ही लौकी-टमाटर की नई फसल आ रही है, जिसे दुबई और इजरायल तक निर्यात करने की तैयारी है। शाम पाँच बजे खेत में काम बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ वल्लरी की क्लास लगती है। वो गांव की 40 लड़कियों को वह रोज दो घंटे अंग्रेजी और कम्प्यूटर पढ़ाती हैं, ताकि गांव की लड़कियाँ आत्मनिर्भर बन सकें। खेत में काम करने वाले किसानों के लिए वर्कशॉप का भी आयोजन करती हैं, जिसमें उन्हें खेती के नए तरीकों के बारे में बताया जाता है, किसानों के सुझाव भी लिए जाते हैं। वल्लरी बताती हैं-'पापा ने ये जमीन फार्म हाउस बनाने के इरादे से खरीदी थी। मुझे यहाँ खेती की संभावना नजर आई, तो नौकरी छोड़कर आ गई। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। नौकरी छोड़ खेती कर रही थी, तो लोगों ने पढ़ी-लिखी बेवकूफ कहा। घर में तीन पीढ़ी से किसी ने खेती नहीं की थी। किसान, बाजार और मंडी वालों के साथ डील करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। लोग लड़की समझकर मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। खेत में काम करने वाले लोगों साथ बेहतर ज्ञान हो सके, इसलिए छत्तीसगढ़ी सी.टी। खेती की नई टेक्नोलॉजी इंटरनेट से सीखी। ये देखा कि इजरायल, दुबई और थाईलैंड जैसे देशों में किस तरह से खेती की जाती है। पैदा हुई सब्जियों की अच्छी क्वालिटी देखकर धीरे-धीरे खरीददार भी मिलने लगे। ■

कुडुंबश्री का सफर :
अचार से आईटी तक

सदस्यों की संख्या 41 लाख, सदस्यों की बचत 2200 करोड़ रुपए वाले संघटन का नाम है- कुडुंबश्री। केरल के महिलाओं की स्वयं सहायता समूह का नाम, जिसने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अचार, चटनी, कढ़ी मसाला बनाने की शुरूआत से आईटी की मंजिल तक पहुंचने का सफर तय किया है। *कुडुंब श्री की सफलता देखकर दक्षिण अफ्रीका और इथोपिया की सरकारों ने कुडुंब श्री मॉडल की शुरूआत अपने देश में करने का निर्णय लिया है। कुडुंबश्री का मतलब होता है-परिवार की समृद्धि। इसके सदस्यों की बचत राशि केरल की किसी भी कॉरपोरेट कंपनी से ज्यादा है।* इसे कुडुंबश्री का कमाल ही कहा जाएगा, जिससे केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना को एक महिला नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा है। **महिला सशक्तीकरण यानी गरीबी के परिवेश से उठकर महिलाओं को उद्यमिता के राही बनाने का बड़े पैमाने पर कदाचित देश में पहला प्रयास है।** इससे उद्यमिता और सहकारिता की भावना निचले तबके की महिलाओं में आई है। कुडुंबश्री के आर. पार्वती बताती हैं कि आज केरल के सभी 999 ग्राम पंचायतों, 53 नगरपालिकाओं और 5 नगर निगमों में कुडुंबश्री की मौजूदगी है। एक स्वंयसेवी संगठन के रूप में शुरू में कुडुंबश्री का क्रियाकलाप अब घरेलू उत्पादों के विविधीकरण के तहत महिलाएँ, हैंडीक्राफ्ट, कॉस्मैटिक्स, फूड प्रोसेसिंग जैसे लघु उद्योग चला रही हैं। राज्य में ऐसे 35 हजार से ज्यादा लघु और सूक्ष्म उद्योग काम कर रहे हैं। केरल का यह संगठन अन्य राज्य सरकारों और जरूरतमंद महिलाओं को भी तकनीकी मदद देता है। कुडुंबश्री संगठन की शुरूआत 1992 में अलप्पीजा कस्बे में हुई। कुछ वर्षों में काम तेजी से बढ़ा और 17 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मालापुरम में कुडुंबश्री के प्रयासों की सराहना की। अब इस संगठन का कार्य बहुआयामी हो गया है। करीब 72 सूक्ष्म उद्यमी और 750 महिलाएं ठोस कचरा निस्तारण में जुटी हैं। ■

आर. पार्वती

कुडुंब श्री की सफलता देखकर दक्षिण अफ्रीका और इथोपिया की सरकारों ने कुडुंब श्री मॉडल की शुरूआत अपने देश में करने का निर्णय लिया है।

• शैलेन्द्र वाग्द्रे

अमेरिका से कॉलेज शिक्षा आसान

(साधारण कॉलेज से बी. ई. / बी. टेक. कर अमेरिका से एम. एस. (M.S.) कर पाएं IIT का स्तर)

MS, BS, PHD या MBA.... बस हिम्मत और प्लानिंग चाहिए, व्यवस्थाएं बनती चली जाएँगी

आज विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करना व वहाँ रोजगार मिलना आसान है. बस जानकारियों का आभाव है. अमेरिका में एम.आई.टी., स्टेनफोर्ड, केलिफोर्निया, हॉर्वर्ड, येल, ब्राउन, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, मिशिगन, शिकागो, परड्यू सहित कुल 5000 विश्वविद्यालय (युनिवर्सिटी) हैं. जिनमें 2500 इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं. वहीँ अमेरिका की जनसंख्या केवल 35 करोड़ है. टॉप 10 विश्वविद्यालय ही MS या MBA में 10-10 हजार प्रवेश देते हैं. वहीँ स्वयं पर क़र्ज़ व सुलभ रोजगार के चलते अमेरिका के स्थानीय छात्रों की पी.जी. करने में रूचि कम रहती है. अमेरिका से भारत आने में 16 घंटे व आने-जाने का किराया मात्र 60 हजार रूपये है. वहीँ ट्रेन से केरल से भोपाल आने में 40 घण्टे लगते हैं.

रैंक निकालने वाली मैगज़ीन क्यू.एस. के अनुसार आई.आई.टी. की विश्व रैंक 162 व टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार 350 है. शिक्षा पद्धति में प्रमुख अंतर है कि अमेरिका में किताब से रटा हुआ उत्तर परीक्षा में लिखने पर "शून्य" अंक मिलते हैं. अर्थात वहाँ हर चेप्टर की हर छात्र को नई व्याख्या करनी होती है. वहीं अंग्रेजों ने भारत में राज-पाट चलाने क्लर्क व नौकर तैयार करने "रटो, लिखो व भूलो" शिक्षा प्रणाली लागू की थी. जबकि इंग्लैण्ड में शिक्षा प्रणाली भिन्न है.

अमेरिका के स्थानीय छात्रों का इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ जैसी कठिन पढाई की ओर रुझान कम रहता है. वे बी.ए., बी.कॉम., बी.बी.ए. पढ़कर ही जीवन यापन कर लेते हैं. अतः हमारे लिए वहाँ अच्छे विषय व संस्थानों से शिक्षा व फिर रूपये 60 लाख औसत वेतन (जबकि रहने खाने का खर्च रूपये 20 लाख प्रति वर्ष) की नौकरी प्राप्ति के अवसर सुद्रढ़ रहते हैं. इंजीनियरिंग व विज्ञान स्नातकों (STEM Group) की कमी होने से अमेरिकी कम्पनियों में 60% लोग बाहर के देशों के काम करते हैं. वैसे भी शिक्षा प्राप्ति के बाद हमारी तमन्ना किसी बड़ी अमेरिकी कम्पनी (माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, स्लमबर्जर, वालमार्ट) में नौकरी प्राप्ति की ही होती है तो क्यों न हम पढ़ने ही उनके समीप चले जायं? विश्वविद्यालय अच्छे होने के बावजूद रोजगार के अवसर धूमिल होने से इंग्लैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा छात्रों के पसन्दीदा गन्तव्य नहीं हैं.

अमेरिका से शिक्षा प्राप्ति में 2 प्रमुख विचारणीय बिन्दु हैं.. (1) प्रवेश परीक्षाएं व (2) खर्च की व्यवस्था।

(स्कॉलरशिप: यह एक दुर्लभ वस्तु है. अच्छे विश्वविद्यालयों में इसकी संभावनाएं कम ही होती है.)

(1) प्रवेश परीक्षाएं

क्र.	कोर्स	परीक्षाएं	कुल अंक	उत्तम अंक	सिलेबस	फोटो आई डी
(1)	M.S. (Graduate) 2 Year or PHD	GRE	340	320	Maths & English	परीक्षा केन्द्र में पासपोर्ट अनिवार्य है.
(2)	M.B.A.	GMAT	800	720	Maths & English	
(3)	English proficiency Test (उपरोक्त सभी के साथ अनिवार्य)	TOEFL	120	100	Speaking, Listening Reading, Writing	

ये प्रवेश परीक्षाएं वर्ष में कई बार होती हैं. इनके स्कोर 5 वर्ष मान्य रहते हैं. इनकी मात्र 2 माह की "कोचिंग" व "परीक्षा केन्द्र" भारत के हर बड़े शहर में उपलब्ध हैं. कक्षा 10वीं - 11वीं स्तर का गणित व अंग्रेजी पूछा जाता है. MS प्रवेश के आवेदन में छात्र द्वारा सम्पन्न अतिरिक्त गतिविधियों (जैसे जिस विषय में प्रवेश चाहिए उससे संबन्धित कॉलेज में किये गए कार्य, मॉडल, प्रोजेक्ट, जरनल या अख़बारों में लेख प्रकाशन, प्रशिक्षण) समाज सेवा कार्य, 3 प्राध्यापकों की ऑनलाइन अनुशंसा व BE / BTech तृतीय वर्ष के प्राप्तांकों का महत्व है.

विशेष: MS की डिग्री लेने औसत केवल 10 पेपर पास करने होते हैं. जिन्हें 1 से डेढ़ वर्ष में भी पास कर सकते हैं. जिससे फीस व समय दोनों कम लगते हैं. अमेरिका बी.ई./ बी.टेक बाद ही सीधे PHD में भी प्रवेश देता है, जिसमें पूरी स्कॉलरशिप मिलने की भी पूरी सम्भावना रहती है. वहाँ अपार्टमेन्ट में रहना खाना सस्ता है.

सतर्कता: <u>बी.ई. / बी.टेक. करते ही बगैर समय नष्ट किये अमेरिका में अगस्त माह में प्रारम्भ होने वाले सत्र में प्रवेश लेने लेने के लिए उसके 10 माह पूर्व विगत वर्ष के नवम्बर माह तक प्रवेश परीक्षाओं के स्कोर बनाना होगा अन्यथा 1 वर्ष का नुकसान हो जायेगा.</u> (इसके लिए बी.ई. / बी.टेक. का तृतीय वर्ष पूर्ण होते ही तैयारी प्रारम्भ कर अक्टूबर माह में GRE व TOEFL की परीक्षा दे देना चाहिए. उसके पूर्व पासपोर्ट अवश्य बनवा लें)

(2) खर्च की आसान व्यवस्था:

(क) M. S. (2 - वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स) औसत कुल खर्च 40 से 60 लाख रुपया.

1	एजुकेशन लोन (रूपये 40 लाख)	जो 3 वर्ष बाद से लौटाना है. 3 वर्ष तक साधारण ब्याज. इस दौरान प्रतिमाह ब्याज देने पर इनकम टेक्स में छूट. सरकारी बैंकों में अचल सम्पत्ति की ग्यारण्टी लगेगी. (SBI Loan Limit रु.1.50 करोड़) (विशेष: मकान पर 1 लोन होते हुए भी वही बैंक डिफरेन्स सिक्युरिटी पर 1 और लोन सहर्ष देता है.)
	विशेष: अमेरिका से PG (MS) करने Prodigy, Avanse, Auxilo, Incred, HDFC Credila, Axis Bank रु. 50 लाख का "एजुकेशन लोन" बगैर सिक्योरिटी (मकान) व बगैर चेहरा देखे केवल ई-मेल पर 7 दिन में दे देते हैं. Prodigy पिता के हस्ताक्षर व ब्लैंक चैक्स नहीं माँगती. फण्ड दिखाने Sanction Letter आवेदन के समय भी ले सकते हैं. (स्वयं के पास से कुछ भी खर्च करने व हर महीने ब्याज भुगतान की भी आवश्यकता नहीं.)	
2	पार्ट टाइम जॉब:	अमेरिका में मेन पॉवर की कमी होने से विश्वविद्यालय में ही सप्ताह में 20 घण्टे की नौकरी मिलती है. जिससे रहने-खाने का खर्च निकल सकता है. वेकेशन में फुल टाइम जॉब की अनुमति.
3	इन्टर्नशिप	औसत 3 माह किसी कम्पनी में इन्टर्नशिप (प्रशिक्षण) पर जाने पर फुल पे प्राप्ति।
4	स्व-व्यवस्था:	कुछ राशि की स्वव्यवस्था करनी भी पड़ी तो क्रमशः सेमेस्टर वाइस करनी होगी, एक साथ नहीं.

फण्ड दिखाना: MS में प्रवेश मन्जूर होने पर 1 वर्ष के खर्च की राशि व वीज़ा के समय डेढ़ वर्ष की राशि दिखानी होती है. जिसमें लोन सैंक्शन, माता-पिता या उनके माता-पिता के सेविंग बैंक व एफ.डी. की राशि दिखा सकते हैं.

अमेरिका में नौकरी: अमेरिका में मेन-पॉवर की कमी होने से प्रति वर्ष 85 हजार लोगों को लॉटरी से मिलने वाले "6-वर्षीय H-1-B-Job-VISA" के पहले 3 वर्ष की नौकरी "ऑप्शनल प्रेक्टिकल ट्रेनिंग (OPT)" के नाम पर आसानी से मिलती है. जिससे कर्ज पटकर बचत भी हो जाती है. इसीलिए अमेरिका 2 वर्षीय MS के लिए बिना मांगे 5 साल का स्टूडेन्ट वीज़ा देता है.

(ख) B. S. (4 - वर्षीय अण्डर ग्रेजुएट कोर्स) औसत कुल खर्च 80 से 120 लाख रुपया:- आजकल पी.जी. के अलावा 12वीं के बाद सीधे 4 वर्षीय B.S. (Undergraduate) कोर्स हेतु भी अमेरिका जाने का चलन बढ़ रहा है. अमेरिका के बड़े विश्वविद्यालय यू.जी. में प्रति वर्ष 8 से 10 हजार प्रवेश देते हैं जबकि हमारे 23 आई.आई.टी. केवल 11,000 छात्रों को प्रवेश देते हैं. आई.आई.टी. में पसंद का विषय व संस्थान केवल 10% छात्रों को मिलता है फिर शिक्षापोरान्त वे नौकरी भी किसी और विषय में करते हैं. B.S. हेतु प्रवेश परीक्षाएं SAT 1600 अंक (गणित व अंग्रेजी) व TOEFL हैं.

विदेश (रूस) से MBBS आसान: रूस (Russia) से MBBS करने महत्वपूर्ण बिन्दु: (1) कक्षा 12वीं उत्तीर्ण (2) साल में 2 बार फरवरी व मई में ऑनलाइन आयोजित होने वाली भारत की NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 720 में से जनरल को न्यूनतम 50 परसेंटाइल अर्थात 118 (17%) अंक व ओ.बी.सी. को 98 (14%) अंक अनिवार्य. (3) रूस से MBBS कर लौटने पर भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सरकार की एलीजिबिलिटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य. विशेष: प्रति वर्ष छात्र छुट्टियों में जब जब रूस से भारत आते हैं NPTAMS इस परीक्षा की तैयारी (कोचिंग) भी नागपुर में लगातार करवाता है. जिससे लगभग सभी छात्र यह परीक्षा आसानी से उत्तीर्ण कर लेते हैं. यह तैयारी रूस की नियमित पढ़ाई में भी सहायक सिद्ध होती है. (अब रजिस्ट्रेशन हेतु 2019 से भारत से MBBS करने वाले छात्रों को भी यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है.) (4) MBBS पाठ्यक्रम की अवधि: 5 वर्ष 8 माह (5) डिग्री: MD Physician (MBBS) (भारत में MCI इसी नाम से पंजीयन भी करता है) (6) कुल खर्च: 25 लाख रुपये (भुगतान: वार्षिक) (7) डॉ. नितिन शरणागत [MBBS (रूस), MD (भारत, स्वर्ण पदक), सहायक प्राध्यापक शासकीय मेडिकल कॉलेज, नागपुर (8007588523) द्वारा परामर्श. [विशेष: रूस एक कम्युनिष्ट देश होने से वहाँ के मेडिकल कॉलेज शासकीय हैं. जिससे उनका संचालन सदैव पूर्ण नियम कानून के तहत सुचारु रूप से होता है]

(1) कॉलेजों की विश्व रैंक: कॉलेजों की अमेरिका या विश्व रैंक व फीस जानने इन वेबसाइटों का प्रयोग करें: (i) https://www.usnews.com/ (ii) https://www.timeshighereducation.com/ (iii) https://www.topuniversities.com/
(2) ऑनलइन कोर्सेस: छात्रों को प्रवेश व नौकरी में लाभ प्राप्ति हेतु MIT, HARVARD, STANFORD आदि विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के edX या Coursera के छोटे छोटे टॉपिक के 6 से 8 हफ़्तों के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेस करना चाहिए.
(3) विदेश प्रशिक्षण: व्यक्तित्व विकास, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव व प्रमाण पत्र हेतु नीदरलैण्ड की संस्था AIESEC के विदेशों में आयोजित 6 से 8 हफ़्तों के वालेंटियरशिप/ प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेना चाहिए. खर्च रु. 25 हजार.
(4) पासपोर्ट शीघ्र बनवाएं (दस्तावेज): (1) पता: 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेन्ट या पते का कॉलेज का प्रमाण पत्र (2) जन्म प्रमाण पत्र या अंकसूची (3) फोटो आई.डी. (4) पिछली अंकसूची. (विशेष: बाहर के वर्तमान पते को ही स्थाई पता भी दर्शाएं। 15 वर्ष उम्र होने पर 10 वर्ष का पासपोर्ट बन जाता है. अधिक औपचारिकताओं के चलते तत्काल से जल्द साधारण पासपोर्ट बनते हैं.)

संपर्क: शैलेन्द्र वागद्रे, EE MPEB सारनी, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव: अ. भा. अपाक्स, www.skwagadre.com, 9425003700

• अशोक आनन्द

मेरी बात

इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र, देख रहा हूँ मगर देखा नहीं जाता

आदि मानव से लेकर अभिनव मनुष्य तक की यात्रा हजारों वर्षों की है। हजारों साल में मनुष्य सभ्य हुआ है या असभ्य, हिंसक हुआ है या कारुणिक, आगे बढ़ा है या पीछे गया है? मै तो अनुत्तरित रह जाता हूँ ऐसे सवालों से। क्या हो गया है इस भौतिकवादी समाज को? आगे इस टूटन और पतन की परिणति क्या है? हम कहां खड़े है। आज प्रजातांत्रिक धर्म निरपेक्ष भारत किस मोड़ पर खड़ा है।

21वीं शताब्दी में इस भूमण्डल पर स्थित देशों के वैचारिक विस्तार की नींव असहमतियों के सम्मान पर टिकी है. और यदि यह बुनियाद हिलती नज़र आवे तो हम क्या कहेंगे. यदि किसी के अस्तित्व को अतिवादियों और धर्मोन्मादियों द्वारा इसलिए मिटा दिया जाय कि वे वैचारिक असहमति रखते हैं। असहमतियो का संज्ञान लेकर ज्यादतियां हों, कहाँ तक मानवीय है कहाँ तक तर्क संगत है. भारत की बहुलतावादी संस्कृति में विविधता इसका सौंदर्य है. सहअस्तित्व तो इसका प्राण है.

अलग-अलग वेश-भूषा अलग-अलग खान-पान, रहन-सहन, बोली-भाषा मानव जाति का आकर्षण है. हमें एक दूसरे को सम्मान देना होगा. यही मनुष्यता का तकाजा है. पागल अंधी भीड़ किसी मनुष्य की हत्या इसलिए कर दे कि उसका भोजन भीड़ के आदर्शों के खिलाफ है. कितना न्यायपूर्ण है यह । चीन के लोग तो सब कुछ खाते हैं. उत्तर पूर्व के प्रान्तों के लोगों का भोजन दक्षिण भारत से बिलकुल अलग है, पर हम सब भारतीय है. सदियों से अपनी परम्पराओं और रीति रिवाजों के साथ जीते चले आ रहें है हम । खान-पान के आधार पर हम किसी को छोटा या बड़ा, ऊंच या नीच नहीं करार दे सकते.

घृणा के बीज का रोपण असहमतियों को लेकर हो यह उचित नहीं. जाति, धर्म, अंधविश्वास व मान्यताओं के आधार पर भेद ही हमारी अवनति का कारण है. यह सब हमारी बनाई दीवारे हैं. नई नस्ल इन दीवारों को गिरा देगी. दो मेधावी वैज्ञानिक इसलिए एक दूसरे को प्रेम न करें कि वे गैर बिरादरी के हैं, गैर मजहब के हैं, कितना हास्यास्पद लगता है इस प्रकार का पूर्वाग्रह । रोहित वोमिला, गौरी लंकेश अथवा दामोलकर से लाखों लोग असहम हो सकते हैं और ये विचारक लाखों के आदर्श भी हो सकते हैं. विचार तो विचार है, किसी से पूछकर या डरकर तो अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती अभिव्यक्ति का खतरा तो हमारे पुरखों ने हमेशा उठाया ही है. कबीर, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा, पेरियार, अम्बेडकर कितने नाम गिनाऊँ हमें प्रतिरोध के स्वरों का सम्मान करना अवश्य सीखना चाहिए. कहने वालों को सुनना आना चाहिए. तभी हम सहिष्णुता और सहस्तित्व के रथ पर सवार होकर प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकते हैं.

आज मनुष्य में हो रहे असहिष्णुता और धर्मोन्माद के विकार अशुभ ही नहीं खतरनाक भी हैं. इस असाध्य रोग की औषधि खोजी नहीं गयी तो यह लाइलाज हो जायेगा. आदमी की देह में उपज रहे हिंसक विषाणु संक्रामक होते जा रहे हैं। इतना छोटा होता हुआ आदमी, इतना बौना होता हुआ इंसान अपने हिस्से में क्या बचा पायेगा विचारणीय व सोचनीय है.

विगत माह मुझे सिंगापुर जाने का सुयोग मिला. बहुत प्रभावित हुआ उस देश में एक सप्ताह व्यतीत करके मेरे आत्मीय जनों ने मुझसे जानना चाहा इस देश के बारे में मैंने चार वाक्यों में इस देश को चित्रित कर दिया ." बहुत ही साफ - सुथरा संपन्न देश है. अपराध नहीं के बराबर है. एक आदमी दूसरे आदमी का सम्मान करना जानता है. सहकार की भावना हर नागरिक में परिलक्षित हो रही थी.- किसी भी देश रहने के लिए इतना कुछ पर्याप्त से अधिक है.

बाते लम्बी ही जायेंगी ...आगे फिर कभी ...एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा :
घटे अगर तो एक मुश्तेखाक है इंसा, बढ़े अगर तो बुस्अे कौनैन में समा न सकें.

अशोक आनन्द

यूनियन बैंक के शीर्ष प्रबंधन के प्रति आभार जिनकी स्वीकृति के पश्चात लिपिक एवं अधिकारी संवर्ग में प्रोन्नति हेतु लिखित परीक्षा से पूर्व अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के लिए सभी अंचलों में 5 दिवसीय ओटीपी का आयोजन किया गया

आयोजन निम्नांकित स्थानों पर किया गया-

1. दिल्ली (अंचल के क्षे0का0, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, हरयाणा, पंजाब और जम्मू कश्मिर समिल्लित हुए)
2. कलकत्ता (वेस्ट बंगाल, आसाम एवं नोर्थ स्टेट शामिल हुए)
3. वाराणसी (अंचल के तीन केन्द्रों इलाहाबाद और गोरखपुर में भी आयोजित)
4. लखनऊ (मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, आगरा कानपुर एवं अन्य क्षे0 का0 शामिल हुए)
5. पटना (रांची अंचल के विहार एवं झारखंड राज्य स्थित क्षे0का0 शामिल हुए)
6. भुवनेश्वर (उड़िसा राज्य के कर्मचारी शामिल हुए)
7. भोपाल (पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी शामिल हुए)
8. मुम्बई (पूरे मुम्बई अंचल के कर्मचारी शामिल हुए)
9. औरंगाबाद (मुम्बई छोड़ महाराष्ट्र के कर्मचारी)
10. एर्नाकुलम (केरल राज्य के लिए)
11. बैंगलोर (कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों हेतु)
12. हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के कर्मचारियों हेतु)
13. चेन्नई (तमिलनाडु के कर्मचारी शामिल हुए)

प्रस्तुत करते हैं

यूनियन सहयोग

हैपी बैंकिंग
@ फिंगर टिप्स!

यूनियन सहयोग एप्प

आपकी समस्त बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए मोबाइल पर वन-स्टाप डिजिटल एप्प

- मोबाइल आधारित बैंकिंग एप्लीकेशन
- मिस्ड कॉल/एसएमएस आधारित सेवाएं
- इंटरनेट बैंकिंग
- सरल, सुरक्षित
- जमा एवं ऋण उत्पादों की जानकारी
- ऑनलाइन खाता खोलना एवं ऋण आवेदन
- सोशल मीडिया के सीधे लिंक
- प्रथम द्विभाषी एप्प

*शर्तें लागू

हमें गर्व है इनसे जुड़कर

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

हेल्पलाइन नं.: 1800 208 2244 / 1800 22 2244 (टोल फ्री नं.) | 080 2530 0175 (शुल्क योग्य) | +91 80 2530 2510 (एनआरआई के लिए) www.unionbankofindia.co.in

हमसे जुडे रहें: @UnionBankOfficial @UnionBankTweets @UnionBankInsta UnionBankofIndiaUtube UnionBankofIndia